

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक— 270 /FP/UK/ROAD/48385/2020 :देहरादून: दिनांक: 29 जुलाई, 2021

सेवा में,

सहायक वन महानिरीक्षक (एफ0सी0),  
भारत सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,  
जोरबाग रोड़, नई दिल्ली-110003

विषय:— जनपद पौड़ी गढ़वाल में कालागढ़ टाईगर रिजर्व प्रभाग के पाखरौ रेंज के पाखरौ क0सं0-3 एवं 8 में टाईगर सफारी की स्थापना हेतु 106.16 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु कार्बेट टाईगर रिजर्व को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:—आपका ई0डी0एस0 पत्रांक—8-12/2020-एफ0सी0 दिनांक:—18.02.2021

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर निदेशक/वन संरक्षक, कार्बेट टाईगर रिजर्व, रामनगर, नैनीताल के पत्रांक 192/13-2 दिनांक 24-07-2021 एवं उप वन संरक्षक, कालागढ़ टाईगर रिजर्व प्रभाग, लैन्सडौन के पत्रांक 1903/12-1 दिनांक 19-02-2021 के द्वारा सन्दर्भित ई0डी0एस0 की अनुपालना इस कार्यालय को प्रेषित की गयी हैं, जिसे निम्नानुसार मूल में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :-

बिन्दु संख्या-1 :- भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या 1, 2, 3, 7 एवं 8 की अनुपालन आख्या उप वन संरक्षक कालागढ़ टाईगर रिजर्व प्रभाग, लैन्सडौन द्वारा मूल प्रति में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-1)

बिन्दु संख्या-2 :- भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या-4(b) के अनुपालन में निदेशक/वन संरक्षक, कार्बेट टाईगर रिजर्व, रामनगर, नैनीताल द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का वन विभाग के नाम अमल दरामद किया जा चुका है तथा उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 (यथा संशोधित) की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित/आरक्षित वन घोषित किये जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा चुका है। प्रेषित पत्र की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-2)

अतः अनुरोध है कि प्रकरण की सामरिक महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये विषयांकित प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,

(ड0 कपिल जोशी)

अपर प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या—270 /FP/UK/ROAD/48385/2020 दिनांकित।

1. प्रतिलिपि :- निदेशक/वन संरक्षक, कार्बेट टाईगर रिजर्व, रामनगर, जिला नैनीताल को आपके पत्रांक 192/13-2 दिनांक 24-07-2021 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि :- उप वन संरक्षक, कालागढ़ टाईगर रिजर्व प्रभाग, लैन्सडौन को आपके पत्रांक 1903 /12-1 दिनांक 19-02-2021 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(ड0 कपिल जोशी)

अपर प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

81

कार्यालय उप वन संरक्षक, कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग, लैन्सडौन।

पत्रांक:- 1903/12-1

दिनांक, लैन्सडौन, फरवरी, 19

2021.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

वन संरक्षण इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी

उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:-

जनपद पौड़ी गढ़वाल में कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग के पाखरौ रेंज के पाखरौ क0स0-3 एवं 8 में टाइगर सफारी की स्थापना हेतु 106.16 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन संरक्षण अधिनियम (1980) के Section-2 के अन्तर्गत भारत सरकार की अनुमति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

भारत सरकार का पत्रांक-8-12/2020 एफ0पी0 दिनांक-18-02-2021 एवं आपका पत्रांक-2020/एफ0पी0/यू0के0/रोड/48385/2020 दिनांक-01-02-2021

महोदय,

भारत सरकार की सन्दर्भित पत्र संख्या 8-12/2020 एफ0सी0 दिनांक-18-02-2021 के अनुपालन में प्रश्नगत प्रकरण में बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित है-

1. भारत सरकार की पत्र संख्या 8-12/2020 एफ0सी0 दिनांक-30-10-2020 द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल में कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग के पाखरौ रेंज के पाखरौ क0स0-3 एवं 8 में टाइगर सफारी की स्थापना हेतु निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दु संख्या 1,2,3,7 एवं 8 में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन में वांछित आख्या संलग्न है।
2. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का हस्तान्तरण/अमलदरामद वन विभाग के पक्ष में किया जा चुका है तथा इस भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 (यथा संशोधित) की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किये जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा चुका है। प्रेषित प्रस्ताव की प्रति संलग्न है।

अतः विनम्र निवेदन है कि प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार से विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अखिलेश तिवारी)

उप वन संरक्षक

कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग

लैन्सडौन।

संख्या:- / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि-निदेशक कार्बेट टाइगर रिजर्व रामनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अखिलेश तिवारी)

उप वन संरक्षक

कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग

लैन्सडौन।

परियोजना का नाम:—जनपद पौड़ी गढ़वाल के कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग के पाखरौ रेंज के अन्तर्गत पाखरौ क0स0-3 व 8 में टाइगर सफारी निर्माण हेतु 106.16 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण।

### प्रमाण पत्र

#### बिन्दु संख्या-1

प्रमाणित किया जाता है कि टाइगर सफारी की स्थापना हेतु प्रत्यावर्तित वन भूमि के विधिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात् प्रत्यावर्तित वन भूमि की विधिक स्थिति वही रहेगी जो प्रत्यावर्तन से पूर्व थी।



उप वन संरक्षक  
कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग  
लैन्सडौन

परियोजना का नाम:-जनपद पौड़ी गढ़वाल के कालागढ टाइगर रिजर्व प्रभाग के पाखरौ रेंज के  
अन्तर्गत पाखरौ क0स0-3 व 8 में टाइगर सफारी निर्माण हेतु 106.16 है0  
वन भूमि का हस्तान्तरण।

## प्रमाण पत्र

बिन्दु संख्या-2

प्रमाणित किया जाता है कि टाइगर सफारी की स्थापना हेतु राष्ट्रीय ब्याघ्र संरक्षण  
प्राधिकरण (NTCA) व केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA) द्वारा प्रदत्त वैधानिक अनुमोदन में  
अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

  
उप वन संरक्षक  
कालागढ टाइगर रिजर्व प्रभाग  
लैन्सडौन।

परियोजना का नाम:-जनपद पौड़ी गढ़वाल के कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग के पाखरौ रेंज के अन्तर्गत पाखरौ क0स0-3 व 8 में टाइगर सफारी निर्माण हेतु 106.16 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण।

### प्रमाण पत्र

बिन्दु संख्या-3

प्रमाणित किया जाता है कि टाइगर सफारी की स्थापना में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु बांस व अन्य प्राकृतिक रूप से उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग किया जायेगा।

  
उप वन संरक्षक  
कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग  
लैन्सडौन।

परियोजना का नाम:-जनपद पौड़ी गढवाल के कालागढ टाइगर रिजर्व प्रभाग के पाखरौ रेंज के अन्तर्गत पाखरौ क0स0-3 व 8 में टाइगर सफारी निर्माण हेतु 106.16 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण।

### प्रमाण पत्र

बिन्दु संख्या-7

प्रमाणित किया जाता है कि टाइगर सफारी की स्थापना में पातित किये जाने वाले वृक्षों पर होने वाले व्यय की धनराशि का वहन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया जायेगा।

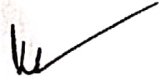
✓  
उप वन संरक्षक  
कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग  
लैन्सडौन।

परियोजना का नाम:-जनपद पौड़ी गढ़वाल के कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग के पाखरौ रेंज के अन्तर्गत पाखरौ क0स0-3 व 8 में टाइगर सफारी निर्माण हेतु 106.16 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण।

### प्रमाण पत्र

#### बिन्दु संख्या-8

प्रमाणित किया जाता है कि टाइगर सफारी की स्थापना हेतु गैर वानिकी कार्यों के लिए प्रत्यावर्तित 16.00 है0 आरक्षित वन भूमि में स्थित पेड़ों में से आवश्यकतानुसार न्यूनतम पेड़ों का पातन राज्य वन विभाग के कठोर पर्यवेक्षण में किया जायेगा तथा पेड़ों के पातन पर होने वाले व्यय का वहन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया जायेगा।

  
उप वन संरक्षक  
कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग  
लैन्सडौन।

**उत्तराखण्ड शासन**  
**वन अनुभाग-03**  
**संख्या- /X-3-21/14(03)/2021**  
**देहरादून: दिनांक- २३ जुलाई, 2021**

**अधिसूचना**

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम 1927 (अधिनियम संख्या-16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उप धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ पाखरौ रेंज के अन्तर्गत पाखरौ कक्ष सं०-3 एवं 8, में टाइगर सफारी की स्थापना हेतु गैर वानिकी कार्य के लिए हस्तान्तरित कुल 16.00 हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी गढ़वाल द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी-9(3) ड० (अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि) के 16.00 हैक्टेयर, जिसका क्षेत्रफल, एवं सीमा विवरण नीचे तालिकाओं में दिया गया है, को संरक्षित वन घोषित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

**भाग-1 क्षेत्र विवरण (Area Details)**

| क०स०  | जनपद         | ग्राम | खाता संख्या | खसरा   |           | कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर) | प्रस्तावित क्षेत्रफल(हैक्टेयर) |
|-------|--------------|-------|-------------|--------|-----------|--------------------------|--------------------------------|
|       |              |       |             | संख्या | क्षेत्रफल |                          |                                |
| 1     | पौड़ी गढ़वाल | जुवा  | 28 / 79     | 1993   | 2.798     | 16.680                   | 16.00                          |
|       |              |       |             | 1104   | 1.998     |                          |                                |
|       |              |       |             | 1331   | 1.560     |                          |                                |
|       |              |       |             | 1333   | 1.210     |                          |                                |
|       |              |       |             | 2272   | 2.159     |                          |                                |
|       |              |       |             | 2354   | 1.442     |                          |                                |
|       |              |       |             | 3034   | 1.316     |                          |                                |
|       |              |       |             | 7      | 2.579     |                          |                                |
|       |              |       |             | 1      | 1.618     |                          |                                |
| योग:- |              |       |             | 16.680 | 16.680    | 16.00                    |                                |

**भाग-2 सीमा विवरण (Boundary Details)**

वृक्षारोपण क्षेत्र के सीमांकन हेतु प्रस्तावित सीमा स्तम्भों का विवरण (जी०पी०एस० लोकेशन सहित) निम्न प्रकार है। वृक्षारोपण क्षेत्र की जियोरेफेरेंस मैप की प्रति संलग्न है।

| Co-ordinates of Plantation Site |                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| ID                              | Longitude       | Latitude        |
| 1                               | 78°34' 17.16" E | 29°49' 20.4" N  |
| 2                               | 78°34' 20.43" E | 29°49' 21.64" N |
| 3                               | 78°34' 33.07" E | 29°49' 21.54" N |
| 4                               | 78°34' 37.04" E | 29°49' 20.22" N |
| 5                               | 78°34' 39.4" E  | 29°49' 17.85" N |
| 6                               | 78°34' 41.47" E | 29°49' 16.7" N  |
| 7                               | 78°34' 40.51" E | 29°49' 13.02" N |
| 8                               | 78°34' 38.53" E | 29°49' 13.04" N |
| 9                               | 78°34' 35.92" E | 29°49' 10.7" N  |
| 10                              | 78°34' 34.35" E | 29°49' 10.54" N |
| 11                              | 78°34' 32.83" E | 29°49' 11.98" N |
| 12                              | 78°34' 26.13" E | 29°49' 13.51" N |
| 13                              | 78°34' 18.91" E | 29°49' 12.73" N |
| 14                              | 78°34' 17.3" E  | 29°49' 14.73" N |
| 15                              | 78°34' 16.95" E | 29°49' 16.67" N |

क्रमशः .....2

**भाग-3 अधिकार एवं रियायते (Rights and Concession)**

उपरोक्त क्षेत्र भू-अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी भी प्रकार की अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

(विजय कुमार यादव)  
सचिव (प्रभारी)।

संख्या: ११७ /X-3-21/14(03)/2021, तददिनांकित।

**प्रतिलिपि :-** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख वन संरक्षक(HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- आयुक्त गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
- 4- निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर, नैनीताल।
- 5- जिलाधिकारी, जनपद गढ़वाल।
- 6- उप वन संरक्षक, कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग, लैन्सडौन।
- 7- प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग कोटद्वार।
- 8- उपजिलाधिकारी, कोटद्वार गढ़वाल।
- 9- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रुड़की को साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट खण्ड-(ब) भाग-4 में प्रकाशनार्थ।
- 10- एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
- 11- गार्ड फाइल।

(विजय कुमार यादव)  
सचिव (प्रभारी)।